श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

नियमित जमानत आवेदन संख्या–218/2026
(बसनही थाना कांड संख्या–50/2026)
धारा–309(4) बी.एन.एस.

1. छोटु कुमार उम्र करीब 20 वर्ष पिता–मनोज ठाकुर, साकिन–पररिया वार्ड नं.7, थाना–बिहारीगंज जिला–मधेपूरा
2. करण कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पिता–प्रमोद मंडल साकिन– रघुनाथपुर, थाना–बसनही, जिला–सहरसा..आवेदकगण

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

27.04.2026

दिनांक–28.03.2026 से कारावासित अभियुक्तगण 1. छोटु कुमार एवं 2. करन कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिन्हा ने निवेदन किया कि इस वाद में अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामित नहीं है। इसका नाम सिर्फ स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। इनका अगल कथन है कि इनके कब्जे से लूटी गयी कोई भी समान बरामद नहीं की गयी है। इसलिए जमानत का लाभ प्रदान किया जाय।

अभियोजन के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पाया कि इस वाद में विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि वे आनंद एच.पी.गैस अतलखा के गैस के वितरण का काम करते है। दिनांक–26.3.2026 को दिन के 10.00 बजे अतलखा के मैजिक पीकअप BR43GA6269 भरा हुआ 64 सिलेंडर लेकर चले थे और विभिन्न जगहों पर वितरण करते हुए जा रहे थे । जैसे ही रघुनाथपुर पैक्स गोदाम के पास पहुंचे तो दो स्पलेण्डर मोटरसाईकिल पर सवार 2–2 व्यक्ति कुल 04 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल से इनकी गाड़ी को रोक लिया और हथियार का भय दिखाकर उनके पॉकेट के 25000/–रू. मोबाइल पीकअप BR43GA6269 लेकर चला गया । बाद में अनुसंधान के क्रम में छोटु कुमार एवं करन कुमार की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों के निशानदेही पर लूटे गए

नियमित जमानत आवेदन संख्या–218 / 2026
(बसनही थाना कांड संख्या–50 / 2026)

–लगातार–
27.04.2026

सिलेंडर मकई के खेत में छिपाकर रखा हुआ बरामद हुआ। चूंकि अभियुक्त के निशानदेही पर लूटे हुए सिलेंडर की बरामदगी हुई है,जिसके लूटने के संबंध में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

अतः लूट जैसे जघन्य कांड में अभियुक्तों को अभी अनुसंधान के क्रम में जमानत का लाभ प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इनका जमानत याचिका **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम